प्रेमाबाई उर्फ प्रेम कुंवर पति कालुसिंह राजपुत

निवासी ग्राम सोहड़ तह. बड़नगर जिला उज्जैन

-----आवेदक

विरूद्ध

शांताबाई विधवा रामसिंह ब्राहम्ण

निवासी ग्राम सोहड़ तह. बड़नगर जिला उज्जैन

-----अनावेदक

प्रार्थी अभिभाषक श्री..........

द्वारा प्रस्तुत 14-7-2014

दिनांक..........

अधीक्षक 14-7-14

आयुक्त कार्यालय

उज्जैन

XXXIX(a)BR(H)-11

(10)

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

प्रकरण क्रमांक निग0 2341—एक / 14 जिला — उज्जैन

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
4—10—14	प्रकरण का अवलोकन किया एवं आवेदक अधिवक्ता द्वारा ग्राह्यता के बिंदु पर दिए गए तर्कों पर विचार किया यह प्रकरण सीमांकन के विरूद्ध है । निगरानी मेमो के साथ आवेदक की ओर से आलोच्य आदेश की प्रति के साथ सीमांकन पंचनामा, सूचनापत्र आदि की प्रमाणित प्रतियां पेश की गई हैं । सूचनापत्र पर सरहदी काश्तकारों के हस्ताक्षर हैं । पंचनामा में आवेदिका के पुत्र शैलेन्द्रसिंह की उपस्थिति का उल्लेख है तथा उसे अपनी भूमि के सीमांकन के संबंध में समझाइश दिए जाने का उल्लेख किया गया है । अतः आवेदक का यह तर्क कि उसे सीमांकन के समय कोई सूचना नहीं दी गई मान्य किए जाने योग्य नहीं है । आवेदक अपनी भूमि का सीमांकन कराने हेतु स्वतत्र है । दर्शित परिस्थिति में यह निगरानी ग्राह्य योग्य प्रतीत नहीं होती है । अतः अग्राह्य की जाती है । आवेदक सूचित हों एवं आदेश की प्रति अधीनस्थ न्यायालय को भेजी जाये । प्रकरण दाखिल रिकार्ड हो । (हस्ताक्षर) प्रशा0 सदस्य	